# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्याः 70 आर.डब्ल्यू.ए./19–01आर.डब्ल्यू.ए./दुर्घ0/एस.ओ.पी./13 दिनांक : 28 अगस्त, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपोज)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः **निगम वाहनों से घटित हो रही दुर्घटनाओं को तत्काल अटैण्ड कर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निगम वाहनों से दुर्घटनाएं होने पर दुर्घटना अटैण्ड किये जाने के उपरान्त सूचना मुख्यालय को दुर्घटना स्थल के फोटो सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त आदेशों को कुछ क्षेत्रों में शत–प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दुर्घटना घटित होने पर स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी0) का कियान्वयन पूर्ण रूप से किया जाए। दुर्घटना घटित होने पर चालक/परिचालक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल उसी समय अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को सूचना देंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की जाये अन्यथा मुख्यालय को सूचना न मिलने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पर कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक दुर्घटना पर सूचना प्राप्त होते ही इन्टरसेप्टर वाहन तत्काल दुर्घटना स्थल पर भेज दी जाये और यह निर्देश दिये जाये कि वह दुर्घटना स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करायें। स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थापित करें।

उक्त के अतिरिक्त चालक/परिचालक के स्तर से घटित दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नजदीकी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुँचकर दुर्घटना स्थल की स्थिति का जायजा लेकर मुख्यालय को सूचना प्रेषित की जायेगी। अगर दुर्घटना फैटल है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक व सेवा प्रबन्धक भी दुर्घटना स्थल पर जायेंगे और दुर्घटना की सूचना प्रधान प्रबन्धक (सड़क सुरक्षा) को तत्काल देंगे। घायल व मृतक यात्रियों को मुआवजा भी जिलाधिकारी के माध्यम से घायलों को तथा मृतक के आश्रितों को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। दुर्घटना अटैण्ड किये जाने में अगर किसी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो उसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्णतया दोषी होगा और उस पर लापरवाही की कार्यवाही भी की जायेगी।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– प्रधान प्रबन्धक (प्रवर्तन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सभी क्षेत्रों में तैनात चेकिंग दलों को भी उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

General Letter

Downloaded from www.upsrtc.com